न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी	:	श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या	:	37 / 2021
3. उनवान	:	सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक जिला जयपुर। – प्रार्थी बनाम बोदू पुत्र भैरू जाति बलाई नि0 ग्राम गोविन्दपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर। –अप्रार्थीगण
4. निर्णय दिनांक	:	24/06/2025
5. अधिवक्तागणों का नाम	:	अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।
	:	ब) अधिवक्ता श्री बी.एल. वर्मा अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम गोविन्दपुरा, पटवार हल्का छापरी, तहसील फुलेरा में स्थित खसरा नम्बर 117 रकबा 2.4784 हैक्टेयर, किस्म बारानी 2 राजस्व रिकार्ड में बोदू पुत्र भैरू ग्राम गोविन्दपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का छापरी रिपोर्ट के अनुसार गैर खातेदार बोदू का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही मौके पर कब्जा है तथा ना ही प्रार्थीयो ने आवंटन शर्तों का पालन किया है। अतः आवंटन नियमो की शर्तो का पालन नहीं होने से उक्त भूमि सिवायवक दर्ज कर आवंटन निरस्त करने की आज्ञा पारित की जावें।

प्रार्थना पत्र 14(4) प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को तलबी नोटिस जारी किये गये। नोटिस तामिल प्राप्त हुयें। पत्रावली लम्बे समय से विचाराधीन है। किन्तु प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा द्वारा अप्रार्थी के कायम मुकाम की सूचना नही भिजवाई गई। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 13.01.2021 के अनुसार उक्त भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा काश्त की जा रही है। तथा ना ही यह वर्णित किया गया है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आंवटित भूमि पर अन्य व्यक्ति द्वारा किस प्रकार काश्त की जा रही है। इस संबंध में तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही की गई अथवा नहीं। अतः प्रार्थी तहसीलदार को नियमानुसार कार्यवाही उपरान्त विधि की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रकरण तैयार कर चाराजोही किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा को रेफरेंस प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि वे प्रकरण की जॉच करें। तत्पश्चात् नियमानुसार विधि की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करते हुए यदि प्रकरण रेफरेन्स योग्य पाया जाता है तो आवंटियों के पूर्ण पते व आंवटन रिकार्ड एवं आवश्यक दस्तावेजात के साथ प्रकरण पुनः प्रस्तुत करें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 24/06/25 को सुनाया गया। पत्रावली बाद फ़ैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर